



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082023-247885  
CG-DL-E-05082023-247885

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/श्रावण 13, 1945

No. 188]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4 2023/SHRAVANA 13, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सं. 26 / 2023

विषय: भेषज और औषध खेप के निर्यात के साथ-साथ पैकेजिंग के स्तरों तथा आपूर्ति श्रृंखला में इनकी आवाजाही में माता-पिता-शिशु तुल्य संबंध बनाए रखने के लिए खोजबीन प्रणाली का कार्यान्वयन-कार्यान्वयन की तारीख बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/648/एम-09/ईसी/ई-21052.-समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा औषध संरूपण की निर्यात खेपों के लिए खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी दिनांक 05.01.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 52/2015-20, दिनांक 09.05.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 05/2015-20, दिनांक 01.11.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020, सार्वजनिक सूचना सं. 16/2015-20, दिनांक 04.07.2019, सार्वजनिक सूचना सं. 66/2015-2020, दिनांक 30.03.2020, सार्वजनिक सूचना सं. 16/2015-20 दिनांक 22.09.2020 सार्वजनिक सूचना सं. 46/2015-20 दिनांक 30.03.2021 और सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-2020 दिनांक 4.01.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 03/2023 दिनांक 03.04.2023 के साथ पठित दिनांक 05.12.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-20 द्वारा यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 2.90क को संशोधित करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.76 (vi) और (vii) (प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.90क में पूर्व में यथा संशोधित) में औषध संरूपणों के इसके पैकेजिंग स्तरों में माता–पिता तुल्य संबंध बनाए रखने और केन्द्रीय पोर्टल पर इसे अपलोड करने के संदर्भ में एसएसआई और गैर–एसएसआई दोनों द्वारा विनिर्मित औषधों के लिए निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख 01.02.2024 तक बढ़ा दी गई है।

### 3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

औषध संरूपणों के इसके पैकेजिंग स्तरों में माता–पिता तुल्य संबंध बनाए रखने और केन्द्रीय पोर्टल पर इसे अपलोड करने के संदर्भ में एसएसआई और गैर–एसएसआई दोनों द्वारा विनिर्मित औषधों के लिए निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख 01.02.2024 तक बढ़ा दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th August, 2023

No. 26/2023

**Subject: Implementation of the Track and Trace system for export of Pharmaceuticals and drug consignments along with maintaining the Parent-Child relationship in the levels of packaging and their movement in supply chain - Extension of date of implementation regarding.**

**F. No. 01/91/180/648/AM-09/EC/E-21052.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2.90A of Handbook of Procedure- 2015-20, as notified vide Public Notice No. 43/2015-20 dated 05.12.2017 read with Public Notice No. 52 / 2015-20 dated 05.01.2016, Public Notice No. 05/2015-20 dated 09.05.2018, Public Notice No. 43/2015- 2020 dated 01.11.2018, Public Notice No. 16/2015- 2020 dated 04.07.2019, Public Notice No. 66/2015-2020 dated 30.03.2020, Public Notice No. 16/2015-2020 dated 22.9.2020, Public Notice No. 46/2015-20 dated 30.03.2021, Public Notice No. 01/2015-2020 dated 04.01.2022 and Public Notice No. 3/2023 dated 03.04.2023 on laying down the procedure for implementation of the Track and Trace system for export consignments of drug formulations.

2. In Para 2.76 (vi) and (vii) of Handbook of Procedure - 2023 (as amended erstwhile Para 2.90A of HBP 2015-2020), the date for implementation of Track and Trace system for export of drug formulations with respect to maintaining the Parent-Child relationship in packaging levels and its uploading on Central Portal is extended up to 01.02.2024 for both SSI and non SSI manufactured drugs.

### 3. Effect of this Public Notice:

The date for implementation of Track and Trace system for export of drug formulations with respect to maintaining the Parent-Child relationship in packaging levels and its uploading on Central Portal has been extended up to 01.02.2024 for both SSI and non SSI manufactured drugs.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.